II/निग०/रीवा/2017/4421

45.

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

Rs. 301

श्यामलाल कुम्हार तनय श्री छविलाल कुम्हार उम्र 63 साल

निवासी ग्राम कुबरी, तहसील चुरहट जिला सीधी म०प्र०

------ आवेदक /निगराकार

विरुद्ध

1- म०प्र०शासन

2-नदात्रधारी सिंहपिताश्री अयोध्या सिंह चौहान, निवासी हाल

मुकाम कुबरी तहसील चुरहट जिला सीधी म०प्र०

---- अनावेदकगण/ गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा मे द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 01/ अपील/16-17मे पारित आदेश दिनांक 30-8-17 जिसके द्वारा आवेदक/निगराकार की अपील निरस्त करदी गई।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०।

अधि० श्री राकेश तिवारी द्वारा पेश 13-11-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/4421

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–8–17 से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 9–3–17 में लिये गये निर्णय एंव तहसीलदार चुरहट के आदेश दिनांक 28–5–17 में शासकीय भूमि पर आवेदक को अतिकमणकर्ता मानकर दिये गये आदेश को पुष्टिकृत किया है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–8–17 अनुसार तहसीलदार चुरहट व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ 6 अ/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28–5–17 में अंकित अनुसार भूमि शासकीय है किन्तु आवेदक की ओर से अपील मेमो में अथवा प्रथक से दस्तावेज प्रस्तुत यह प्रमाणित नहीं किया है कि भूमि किस सर्वे कमांक की है जिसका कितना रकवा है व किस मौजे की भूमि है एंव 100 वर्ष से जब अपील मेमो में आवेदक भूमि में कब्जा की भूमि होना बता रहा है उसके व्दारा अभिलेख के आधार पर भी इसका पुष्टिकरण नहीं किया है जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के	

प्रकरण कमांक 1/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–8–17 का पद 3 इस प्रकार है :–

" तहसीलदार चुरहट के प्र0क0 18 अ 6 अ/10–11 पारित आदेश दिनांक 28–5–17 के विरूद्व अपील प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी ने शासकीय भूमि पर कब्जा दर्ज करना चाहता था, जिससे नायव तहसीलदार व्दारा निरस्त करने पर अपील प्रस्तुत की गई थी, अधीनस्थ न्यायालीय ने आदेशित किया है कि अपीलार्थी का शासकीय भूमि पर कब्जा है जिसका संरक्षण करना अनिवार्य है इसी आधार पर अपील निरस्त की गई है।

चूँकि अपीलार्थी शासकीय भूमि पर अपर कब्जा दर्ज कराना चाहता है जबकि शासकीय भूमियों पर अतिक्रामकों का कब्जा हटाने के शासन के निर्देश हैं ऐसी स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय ने शासन के निर्देशों के अनुरूप अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर कोई त्रृटि नहीं की है। "

उपरोक्तानुसार विवेचना करते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–8–17 से आवेदक की अपील निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 30–8–17 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य